पत्रांक– 3/4–आपदा/अग्नि सुरक्षा/प्रा0– 01/2017 348 /प्राधि0

बिहार सरकार,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

प्रेषक,

व्यास जी,

उपाध्यक्ष

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,

–सह–अध्यक्ष,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

पटना, दिनांक 20/03/2017

विषय :– आसन्न गर्मी क मौसम में अगलगी से बचाव हेतु प्राधिकरण की Advisory.

महाशय,

गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और पछुआ हवा भी बहने लगी है। आप अवगत हैं कि गर्मी के मौसम में जब पछुआ हवा चलती है तो राज्य के सभी जिलों में अगलगी की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर होती हैं। पिछले वर्ष 2016 की गर्मियों में राज्य के कमोवेश सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की भीषण घटनायें घटित हुई थी। इस अगलगी में फसलों एवं घरों के क्षतिग्रस्त होने के अलावा प्राप्त सूचनानुसार 175 से अधिक लोग काल कवलित हुए थे। मृतको में बच्चों से लेकर वयस्क तक शामिल थे। कतिपय जिलों में तो अगलगी की घटनाओं में गांव के गांव तबाह हुए तथा मूक मवेशी भी आग में झुलस कर जान गंवा बैठे। हाँलाकि राज्य एवं जिला प्रशासन ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने का काम किया परन्तु गत वर्ष की घटनाओं से सबक ले के अगलगी जैसी आपदा को रोकने एवं अग्नि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए हमें साथ बैठकर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगलगी ऐसी आपदा नहीं है जिसपर मनुष्य का वश नहीं चलता हो यह प्राकृतिक आपदा होते हुए भी मानव जनित आपदा भी है।

2. गाँव में अगलगी की सर्वाधिक घटनायें क्यों होती हैं, इसका कारण तलाशना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। हम जानते हैं कि बिहार की बड़ी आवादी गाँवों में निवास करती है। हमारे घर अधिकांशतः कच्चे/अध–पक्के श्रेणी के हैं। गरीबी रेखा के नीच निवास करने वाले ग्रामीण प्रायः फूस की झोपडियाँ बनाकर रहते हैं। अभी भी अधिकांश घरों में खाना लकड़ी/गोईठे से, मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण गेहूँ की कटाई

Combined Harvester मशीन से अवश्य की जाती है परन्तु खेतों में गेहूँ के डंठल यू ही छोड़ दिये जाते है। कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिए उन डंठलों में आग लगा दी जाती है। गर्मी के मौसम में कई तरह के उत्सव होते हैं जिनमें हवन करना अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। परन्तु ये हवन प्रायः दिन चढ़े किये जाते हैं। उपरोक्त स्थितियों में गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है एवं पछुआ हवा चलती है तो चूल्हों, खेतों एवं हवनों से निकली

चिंगारियों के आसानी के साथ एक झोपड़ी से दूसरे झोपड़ी, एक घर से दूसरे घर, एक खेत से दूसरे खेत और खेत से गांव में फैलने से अगलगी की घटनाएँ घटित होती है। इसके अलावा फसलों की थ्रेसर से दौनी करते समय थ्रेसर से निकली चिंगारी भूसे के ढ़ेर में लगकर पछुआ हवा के सहारे गांव घरों अथवा खेत खलिहानों तक पहुँच जाती है, जिससे अगलगी की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है। इनके अतिरिक्त बिजली की तारों का लूज रहने से शार्ट सर्किट होना बिजली के उपकरणों एवं गैस सिलेन्डरों की Mishandling, अधजले बीड़ी सिगरेट को यत्र–तंत्र फेंकना, खलिहानों में आग से बचाव के उपाय न करना, जैसे कारण भी अगलगी की आपदा को जन्म देते हैं।

3. अगर हम उपरोक्त कारणों को दृष्टिपथ में रखते हुए कुछ कदम उठावें तो अगलगी की घटनाओं को रोकने में सफलता हासिल हो सकती है। ज्ञातव्य हो कि पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिलों की कतिपय पंचायतों/स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने प्रयत्न से अगलगी के लिए कुख्यात गाँवों में पिछले वर्ष अगलगी की कोई भी घटना नहीं होने दी।

4. उपरोक्त के आलोक में वर्तमान गर्मी के मौसम और पछुआ हवा को देखते हुए अगलगी से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को निम्न रूप से कार्य करने हेतु Advisory जारी की जाती है :–

(i) पिछले वर्षो में जिन गांवों/पंचायतों में भीषण अगलगी हुई थी उनके पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित किया जाय कि वे ग्रामीणों की बैठक बुलाकर कर अगलगी के कारणों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करें । अनुभव बताता है कि समुदाय जो आपदा का प्रथम Responder होता है, अपने परिवेश के प्रति ज्यादा सजग एवं सचेत रहता है। अतएव सहभागितापूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए यदि अगलगी के कारणों का सामाजिक अंकेक्षण समुदाय स्वयं करेगा तो कारणों को पहचानने एवं उन्हें हल करने में सुविधा हो सकेगी।

(ii) पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण के पंचायतों/स्वयंसेवी संस्थाओं से सीखते हुए तथा सामाजिक अंकेक्षण से निकले कारणों पर विचार करते हुए पंचायतों/सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं/जीविका दीदियों/आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अपने स्तर से निम्न कार्रवाई हेतु प्रेरित किया जा सकता है :–

(क) मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की दशा में चूल्हे से निकली चिंगारी अधिक तापमान एवं पछुआ हवा के साथ मिलकर अगलगी का कारण बन जाती है। अतएव ऐसे सभी घरों की पहचान कर उन घरों की महिलाओं को समझाएं कि वे दिन का भोजन सुबह 9 बजे के पूर्व तथा रात का भोजन शाम ढ़ले बना लें। भोजन बनाते समय ढ़ीले ढ़ाले सूती कपड़ा पहनें, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं। चूल्हे के पास पानी भरी बाल्टी अवश्य रखें ताकि आग लगने पर बुझाने में आसानी हो तथा खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग अवश्य बुझा दें।

(ख) यदि रसोई घर फूस का बना हो तो संबंधित को दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाने के लिए प्रेरित करें क्योंकि मिट्टी आग निरोधक होती है।

(ग) महिलाओं को संवेदित करें कि भोजन बनाते समय वहां छोटे बच्चों को नहीं आने दें क्योंकि बच्चे आग से जल सकते हैं।

(घ) उन व्यक्तियों को जिनके घरों में हवन आदि होता है, प्रेरित करें कि वे हवन आदि का कार्य सुबह पूरा कर लें ताकि गर्मी एवं पछुआ हवा तेज होने के पहले हवन कार्य सम्पन्न हो जाय।

(च) जिन खेतों में कटाई के बाद डंठल छोड़ दिये गये हैं, उनमें आग नहीं लगायें। कोशिश होनी चाहिए कि उन डंठलों की कटाई कर हटा दिया जाय ताकि उनका अन्य कार्यो में उपयोग हो सके।

(छ) थ्रेसर से दौनी करते समय थ्रेसर से चिंगारी नहीं निकले, इसके लिए थ्रेसर की सही देखभाल की जाय।

5. उपरोक्त के साथ–साथ निम्नांकित प्रशासनिक कदम उठाकर अगलगी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

(क) उर्जा विभाग को जिला स्तर से निदेश दिया जाय कि लूज विद्युत तारों का निरीक्षण कर उन्हें बदल दिया जाय ताकि उनके कारण अगलगी की घटना न हो सके।

(ख) जिला स्तर से अगलगी से बचाव हेतु **"क्या करें – क्या न करें"** का सम्यक प्रचार प्रसार कराया जाए। खासकर इससे संबंधित पैम्फलेट/पोस्टर छपवा कर स्कूलों में बंटवाया जाय ताकि बच्चे सीख सकें एवं अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी दे सकें। पंचायतों में भी इसे बंटवाया जा सकता है। **"क्या करें – क्या न करें"** से संबंधित विज्ञापन की एक प्रति इसके साथ संलग्न की जाती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

(ग) आग लगने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रकिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाय तथा यथानुसार फायर ब्रिगेड को यथाशीघ्र आग से बचाने के कार्य में लगाया जाय। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था हेतु पंचायतों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों द्वारा कुँआ, तालाब एवं जल के अन्य श्रोतों को चिन्हित किया जा सकता है ताकि उन गाड़ियों को पानी के लिए भटकना न पडे।

(घ) गत वर्ष कतिपय जिला पदाधिकारियों ने अपने स्तर से अगलगी की घटनाओं को नहीं होने देने के लिए तथा उनसे बचाव के लिए स्थानीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये थे। जिला विशेष की स्थिति को दृष्टिपथ रख जिला पदाधिकारी एक कार्य योजना बना सकते हैं, जिसमें अगलगी की रोकथाम को केन्द्र में रखते हुए की जानी वाली कार्रवाई तथा कौन क्या करें आदि का विस्तृत ब्योरा निदेश अंकित रहे। ज्ञातव्य हो कि हम सामान्यतया आपदा प्रबंधन को रिलीफ–केन्द्रित होकर देखते हैं, जबकि आपदा को रोकने (Prevention), आपदा जोखिम के न्यूनीकरण (Reduction) तथा उससे सफलतापूर्वक निपटने हेतु तैयारियों (Preparedness) के संबंध में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

6.– आशा है कि उपरोक्त Advisory पर सभी जिला पदाधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर गंम्भीरता से विचार करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे ताकि हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में संकल्पित "सुरक्षित बिहार" को गढ़ने की दिशा में सार्थक कदम उठा सके।

अनु0–यथोक्त।

भवदीय,

(व्यास जी)
उपाध्यक्ष

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

बिहार सरकार

अगलगी

राज्य में गर्मी के मौसम की शुरूआत हो चुकी है। पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादातर गांवों में अगलगी की घटनाओं की संभावना बढ़ गयी है। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल की भारी क्षति पहुँचती है तथा सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें।

अतएव अग्निकांड से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है:-

अगलगी से बचाव हेतु उपाय :-

- दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे तक बना लें।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगावें।
- हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
- भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें।
- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें।
- रसोईघर की छत उँची रखी जाये।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेण्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर ना फेकें।
- जहां पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे लाकर भूनते है। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझान का प्रयास करें।
- फायर बिग्रेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें सहयोग करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें जमीन पर लेटकर बुझाने का प्रयास करें।

बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311. visit us : www.bsdma.org : e-mail : info@bsdma.org

अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग–0612-2215600